

साहिबगंज नगर परिषद कार्यालय,
साहिबगंज।

पत्रांक-.....1460...../SBM,

दिनांक-.....25-6-18...../

—: आवश्यक सूचना :—

एतद् द्वारा सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि :-

- ✓ (1). झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार प्लास्टिक का प्रयोग, भंडारण व बिक्री आदि प्रतिबंधित है। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक का प्रयोग, भंडारण व बिक्री आदि न करें। अन्यथा नियमानुसार जुर्माना राशि के साथ आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- ✓ (2). सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि जो होल्डिंग धारक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 का होल्डिंग टैक्स 30 जून 2018 तक अदा करते हैं तो वैसे कर दाता को नियमानुसार Tax में 5% प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- (3). सभी व्यावसायी वर्ग के लोगो से अनुरोध है कि अपने अपने व्यावसाय का Trade license बनाना सुनिश्चित करें तथा पूर्व में निर्गत Trade license का ससमय नवीकरण करा लें। अन्यथा Fine का भुगतान करना पड़ेगा।

ज्ञापांक-.....1460...../न0प0, सा0, दिनांक-.....25-6-18...../

प्रतिलिपि :- प्रचारक, विजय चौरसिया, साहिबगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार PMAY आवास के कैंप के लिए किए जा रहे प्रचार के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- SPS, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहिबगंज नगर परिषद।

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहिबगंज नगर परिषद।